CONSTITUTION & BY-LAWS OF SPONSORING BODY

A97/12
6/12/012

XXX-Part-21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

समितिं का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **06/12/01/09400/12**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ए.पी.एस.शिक्षा प्रसार समिति" **समिति** जो हायर सेकण्डरी स्कूल नं.1 के पीछे,आदर्श नगर,छतरपुर तहसील छतरपुर जिला छतरपुर में स्थित है, मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 06/12/2012 को पंजीयित की गई है।

दिनांक छः माह दिसम्बर सन् **2012**

मुद्रा

समितियों के रजिस्ट्रार

(MANGLA PURKAM)
Assistant Registrar
Firms & Societies
Sagar Division, Sagar

(1) आवक क्र. 2011/012 18/12/2015

प्रारूप – एक
(नियम – 3 देखिये)

सोसायटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिये सोसायटी का ज्ञापन

(1) सोसायटी का नाम : ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति छतरपुर
(2) सोसायटी का प्रधान कार्यालयः हायर सेकेण्ड्री स्कूल नं. 1 के पीछे आदर्श नगर छतरपुर जिला छतरपुर में स्थित होगा
(3) सोसायटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

1. बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वाणीय विकास के लिये कार्य करना।
2. समाज के सभी वर्गो के स्वास्थ्य के लिए जगह–जगह अस्पताल खोलना।
3. महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की भावना जाग्रत करना। उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
4. सभी वर्गो के लिए शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना करना तथा संचालित करना।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सामाजिक एवं मानसिक उत्थान के लिए कार्य करना।
6. समाज में सभी वर्गो की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय जैसे चिकित्सीय महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, भेषजी महाविद्यालय इत्यादि खोलना एवं संचालित करना।
7. भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कारों की शिक्षा पर विशेष जोर देना एवं संस्कृत भाषा के विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खुलवाना।
8. परिवार से पीड़ित महिलाओं को न्याय, दिलाना तथा उनकी पुर्नवास व्यवस्था करना।
9. महिलाओं की उन्नति के लिए संचालित शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं सहयोग करना।
10. समाज के सभी वर्गो में शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ भारतीय चिकित्सा पद्यति एवं होम्योपैथी के विकास के लिए आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलना एवं उन्हें संचालित करना।
11. समाज के सभी वर्गो विशेषतः गरीब एवं असहाय लोगों को सरल एवं सुलभ चिकित्सा सुबिध उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
12. बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करना तथा उनके लिये मदद एकत्रित करके उन तक पहुंचाना एवं उनके पुर्नवास के लिये प्रयास करना।
13. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य कई विकास के कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों (दहेज, बाल–विवाह, मृत्यु उपरांत भोज, सतीप्रथा, छुआछूत इत्यादि) के उन्मूलन का प्रयास करना।
14. विकलांग, मूक बधिर, अनाथ एवं सामान्य बच्चों हेतु संचालन झूलाघर,शालायें, खेलघर एवं आंगनवाडी स्थापित करना।
15. आम जनता में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि तकनीकी व वैज्ञानिक जडी बूटी संग्रहण व उनके उपयोग आदि सभी पहलुओं से संबंधित जागृति पैदा करना।
16. हिपोटाईटिस बी.सी., कैंसर, एड्स, पोलियो, मस्तिष्कि ज्वर, कुष्ठ रोग आदि कई भयावह जानलेवा बीमारियों के नियंत्रण हेतु जागरूकता, गोष्ठियों, प्रचार–प्रसार, टीकाकरण करना आदि। गांवो में भ्रमण कर महिलाओं को परिवार नियोजना संबंधी जानकारी देना।

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष | मनोज
सचिव | कोषाध्यक्ष

17. प्रदूषण हटाने कार्य करना, जागृति लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना उसका महत्व बताना, प्रचार–प्रसार में सहयोग करना। ज्यादा से ज्यादा हरित वातावरण के संचालन में सहयोग करना।
18. जल संग्रहण, पानी रोको अभियान के तहत वाटर शेड, सोक्ता, टैंक संचालन, वर्षा क` जल को एकत्रित करने संबंधित पोषण आहार वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, प्रचार–प्रसार करना।
19. शासकीय पोषण आहार वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, प्रचार प्रसार करना जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार व बच्चे इसका लाभ ले सके।
20. गुटका, धूम्रपान, ड्रग्स, नशाखोरी के विरूद्ध जन चेतना जागृत करने के लिये कार्य करना।
21. समाज के पिछडे व दलित वर्ग को ऊंचा उठाने एवं विकास उन्नयन के लिये संस्था हर प्रकार से जन जागृत एवं प्रशिक्षण देने के लिये कृत संकल्प है।
22. समाज के सभी वर्गो की महिलाओं व बालिकाओं को साक्षर बनाने के प्रयास करना एवं निरक्षरता का अंत करने का सतत प्रयास करते रहना। संस्कारों, नैतिक मूल्यों, आचरण शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
23. पंचायती राज के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग, ग्रामीण जनता एवं प्रतिनिधियों में अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना।
24. मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करना एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, कुरीतियां रोकना, जागरूकता के प्रयास, प्रचार–प्रसार ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हों।
25. गरीबी में अल्प बचत की भावना जागृत कर उन्हें व्यक्त करने के लिये प्रेरित करना।
26. गोवध पर रोक लगाने एवं गऊशाला ज्यादा से ज्यादा खुलवाने, चारागाह आदि की व्यवस्था में प्रचार–प्रसार एवं सहयोग करना।
27. अंधत्व निवारण के लिये नेत्र शिविर में सहयोग करना।
28. समाज में शिक्षा के स्तर में सुधर लाने के लिये अधिक से अधिक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय आदि का संचालन करना एवं समाज को शिक्षा एवं कानून की निःशुल्क सलाह देना।

श्रीदेवी परिहार
अध्यक्ष

मनोज
सचिव

कोषाध्यक्ष

4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी विनियमों द्वारा गर्वनर, परिषद, संचालकों समितियों शासी, निकाय को सौपां गया है। जिसके नाम तथा उपजीविका नीचे विर्निदिष्ट की सूची है –

क्रमांक	नाम	पता	पद	उपजीविका	हस्ताक्षर
1	श्रीमती श्रीदेवी सिंह परिहार	हा.से. नं.1 स्कूल के पीछे छतरपुर	अध्यक्ष	समाजसेविका	श्री देवी परिहार
2	श्रीमती लहर कुवंर	गणेश कॉलोनी सागर रोड छतरपुर	उपाध्यक्ष	ग्रहणी	लहर कुवंर
3	मनोज प्रताप सिंह	सटई रोड, छतरपुर	सचिव	कृषक	मनोज
4	श्रीमती अल्का सिंह गौतम	हा.से. नं.1 स्कूल के पीछे छतरपुर	सहसचिव	ग्रहणी	Alka
5	देवेन्द्र सिंह परिहार	हा.से. नं.1 स्कूल के पीछे छतरपुर	कोषाध्यक्ष	शिक्षक	[illegible]
6	श्रीमती सरोज सिंह	हा.से. नं.1 स्कूल छतरपुर	सदस्य	शिक्षक	Saroj
7	राजेन्द्र सिंह बुन्देला	शंकरगढ़ पुरवा चौबे कॉलोनी छतरपुर	सदस्य	समाजसेवक	राजेन्द्र सिंह
8	नीरज सिंह	सटई रोड, छतरपुर	सदस्य	शिक्षक	Neeraj

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष

मनोज
सचिव

[illegible]
कोषाध्यक्ष

(4)

5. म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सन् 1973 को द्वारा (3) द्वारा अपेक्षित सोसायटी के विनिमय का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गयी है। हम विभिन्न व्यक्ति जिनके नाम व पते नीचे लिखे गये है, उपरोक्त प्रतिष्ठान ज्ञापन के अनुसरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक है और नीचे दर्शाये गये अनुसार साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये है।

क्रमांक	अभिदाताओं के नाम तथा पूर्ण पते पिता/पति का नाम सहिज	हस्ताक्षर
1	श्रीमती श्रीदेवी सिंह परिहार पत्नी श्री जे.एस. परिहार हा.से. नं. 1 स्कूल के पीछे, छतरपुर	श्री देवी परिहार
2	श्रीमती लहर कुवंर पत्नी श्री त्रिलोक सिंह परिहार गणेश कॉलोनी सागर रोड छतरपुर	लहर कुंवर
3	मनोज प्रताप सिंह तनय स्व. श्री चन्द्रभान सिंह सटई रोड, छतरपुर	मनोज
4	श्रीमती अल्का सिंह गौतम पत्नी श्री मानवेन्द्र सिंह हा.से. नं. स्कूल के पीछे, छतरपुर	Alka
5	देवेन्द्र सिंह परिहार तनय श्री जे.एस. परिहार हा.से. नं. 1 स्कूल के पीछे, छतरपुर	[illegible]
6	श्रीमती सरोज सिंह पत्नी श्री देवेन्द्र सिंह हा.से. नं. 1 स्कूल के पीछे, छतरपुर	Saroj
7	राजेन्द्र सिंह बुन्देला तनय स्व. श्री गजराज सिह बुन्देला शंकरगढ़ पुरवा,,चौबे कॉलोनी छतरपुर	राजेन्द्र [illegible]
8	नीरज सिंह तनय स्व. श्री सुधर सिंह सटई रोड, छतरपुर	Neeraj

सत्यापित प्रति

तारीख
प्रति,
सोसायटी रजिस्ट्रार

Mangla
(मंगला पुरुषोत्तम)
असि. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाये
सागर संभाग सागर

साक्षी

हस्ताक्षर रामशरण
नामः रामशरण गोस्वामी
पूर्ण पताः नरसिंहगढ़ पुरवा रोड
छतरपुर (म.प्र.)

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष

मनोज
सचिव

कोषाध्यक्ष

(5)

नियमावली

(1) सोसायटी का नाम : "ए.पी.एस. शिक्षा प्रसार समिति" छतरपुर

(2) सोसायटी का प्रधान कार्यालय : हायर सेकेण्ड्री स्कूल नं. 1 के पीछे आदर्श नगर छतरपुर जिला छतरपुर में स्थित होगा

(3) सोसायटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।

(4) सोसायटी के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे –

(जो ज्ञापन पत्र में अंकित है वही लिखें)

1. बालिकाओं एवं महिलाओं के सर्वाणीय विकास के लिये कार्य करना।
2. समाज के सभी वर्गो के स्वास्थ्य के लिए जगह–जगह अस्पताल खोलना।
3. महिलाओं में आर्थिक स्वावलंबन की भावना जाग्रत करना। उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सहयोग करना।
4. सभी वर्गो के लिए शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालयों की स्थापना करना तथा संचालित करना।
5. अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के सामाजिक एवं मानसिक उत्थान के लिए कार्य करना।
6. समाज में सभी वर्गो की शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा हेतु विद्यालय एवं महाविद्यालय जैसे चिकित्सीय महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय, भेषजी महाविद्यालय इत्यादि खोलना एवं संचालित करना।
7. भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए संस्कारों की शिक्षा पर विशेष जोर देना एवं संस्कृत भाषा के विद्यालय ज्यादा से ज्यादा खुलवाना।
8. परिवार से पीड़ित महिलाओं को न्याय, दिलाना तथा उनकी पुर्नवास व्यवस्था करना।
9. महिलाओं की उन्नति के लिए संचालित शासकीय योजनाओं को क्रियान्वित करना एवं सहयोग करना।
10. समाज के सभी वर्गो में शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के साथ–साथ भारतीय चिकित्सा पद्यति एवं होम्योपैथी के विकास के लिए आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलना एवं उन्हें संचालित करना।
11. समाज के सभी वर्गो विशेषतः गरीब एवं असहाय लोगों को सरल एवं सुलभ चिकित्सा ध उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।
12. बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कोई आकस्मिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की मदद करना तथा उनके लिये मदद एकत्रित करके उन तक पहुंचाना एवं उनके पुर्नवास के लिये प्रयास करना।
13. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं अन्य कई विकास के कार्यक्रम सामाजिक कुरीतियों (दहेज, बाल–विवाह, मृत्यु उपरांत भोज, सतीप्रथा, छुआछूत इत्यादि) के उन्मूलन का प्रयास करना।
14. विकलांग, मूक बधिर, अनाथ एवं सामान्य बच्चों हेतु संचालन झूलाघर,शालायें, खेलघर एवं आंगनवाडी स्थापित करना।
15. आम जनता में विशेषकर ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि तकनीकी व वैज्ञानिक जडी बूटी संग्रहण व उनके उपयोग आदि सभी पहलुओं से संबंधित जागृति पैदा करना।

मीरा देवी परिहार — अध्यक्ष | मनोज — सचिव | कोषाध्यक्ष

16. हिपोटाईटिस बी.सी., कैंसर, एड्स, पोलियो, मस्तिष्क ज्वर, कुष्ठ रोग आदि कई भयावह जानलेवा बीमारियों के नियंत्रण हेतु जागरूकता, गोष्ठियों, प्रचार–प्रसार, टीकाकरण करना आदि। गांवो में भ्रमण कर महिलाओं को परिवार नियोजना संबंधी जानकारी देना।
17. प्रदूषण हटाने कार्य करना, जागृति लाना, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करवाना उसका महत्व बताना, प्रचार–प्रसार में सहयोग करना। ज्यादा से ज्यादा हरित वातावरण के संचालन में सहयोग करना।
18. जल संग्रहण, पानी रोको अभियान के तहत वाटर शेड, सोक्ता, टैंक संचालन, वर्षा के जल को एकत्रित करने संबंधित पोषण आहार वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, प्रचार–प्रसार करना।
19. शासकीय पोषण आहर वितरण व्यवस्था में सहयोग प्रदान करना, प्रचार प्रसार करना जिससे ज्यादा से ज्यादा गरीब परिवार व बच्चे इसका लाभ ले सके।
20. गुटका, धूम्रपान, ड्रग्स, नशाखोरी के विरूद्ध जन चेतना जागृत करने के लिये कार्य करना।
21. समाज के पिछडे व दलित वर्ग को ऊंचा उठाने एवं विकास उन्नयन के लिये संस्था हर प्रकार से जन जागृत एवं प्रशिक्षण देने के लिये कृत संकल्प है।
22. समाज के सभी वर्गो की महिलाओं व बालिकाओं को साक्षर बनाने के प्रयास करना एवं निरक्षरता का अंत करने का सतत प्रयास करते रहना। संस्कारों, नैतिक मूल्यों, आचरण शिक्षा को प्रोत्साहित करना।
23. पंचायती राज के क्रियान्वयन एवं ग्रामीण विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने में सहयोग, ग्रामीण जनता एवं प्रतिनिधियों में अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाना।
24. मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रयास करना एवं निःशुल्क कानूनी सलाह, महिलाओं पर अत्याचार का विरोध, कुरीतियां रोकना, जागरूकता के प्रयास, प्रचार–प्रसार ऐसे समस्त कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक सिद्ध हों।
25. गरीबी में अल्प बचत की भावना जागृत कर उन्हें व्यक्त करने के लिये प्रेरित करना।
26. गोवध पर रोक लगाने एवं गऊशाला ज्यादा से ज्यादा खुलवाने, चारागाह आदि की व्यवस्था में प्रचार–प्रसार एवं सहयोग करना।
27. अंधत्व निवारण के लिये नेत्र शिविर में सहयोग करना।
28. समाज में शिक्षा के स्तर में सुधर लाने के लिये अधिक से अधिक विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय आदि का संचालन करना एवं समाज को शिक्षा एवं कानून की निःशुल्क सलाह देना।

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष

मनोज
सचिव

कोषाध्यक्ष

(5) **सदस्यता** – सोसायटी के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें।

अ. **संरक्षण सदस्य** – सोसायटी को जो व्यक्ति शुल्क के रूप में रूपये 5000/– या अधिक एक मुस्त या एक साल में 12 किश्तों में देगा वह सोसायटी का संरक्षक सदस्य होगा।

ब. **आजीवन सदस्य** – जो व्यक्ति सोसायटी को शुल्क के रूप में रूपये 3000/– या अधिक देकर यह आजीवन सदस्य बन सकेगा। कोई भी आजीवन सदस्य रू. 2000/– या अधिक संरक्षक सदस्य बन सकता है।

स. **साधारण सदस्य** – जो व्यक्ति रूपये 100/– प्रतिमाह या रू. 1200/– प्रति वर्ष सोसायटी को शुल्क के रूप में देगा यह वह साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने शुल्क दिया है। जो साधारण सदस्य बिना संतोषजनक कारणों के 6 माह तक देय शुल्क नही देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा सोसायटी के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया शुल्क की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

द. **सम्मानीय सदस्य** – सोसायटी की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते है किन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा।

(6) **सदस्यता की प्राप्ती** – प्रत्येक सदस्य जो कि सोसायटी का सदस्य बनने का इच्छुक है लिखित रूप में आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसको आवेदन पत्र स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

(7) **सदस्यों की योग्यता** – सोसायटी की सदस्य बनने के लिये किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है।

1. आयु 18 वर्ष से कम न हो
2. भारतीय नागरिक हो
3. सोसायटी के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो
4. सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो।

(8) **सदस्यता की समाप्ति** – सोसायटी की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी।

1. मृत्यु होने पर
2. पागल हो जाने पर
3. सोसायटी को देय शुल्क की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर
4. त्याग पत्र देने और वह स्वीकार होने पर
5. चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी की सोसायटी के निर्णय अनुसार निकाल दिये जाने पर उसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित देना होगी।

(9) सोसायटी कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न ब्योरे दर्ज किये जावेगे।

1. प्रत्येक सदस्य का नाम पता व्यवसाय तथा तारीख सहित हस्ताक्षर
2. वह ता. जिसको सदस्य को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नं.।
3. वह ता. जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

(10) **अ. साधारण सभा.** – साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा स्थान व समय कार्यकारिणी निश्चित के 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 2/3 सदस्य का होगा। सोसायटी का प्रथम आम सभा पंजी. दिनांक से 3 माह के भीतर बुलाइ जावेगी। उसमें, सोसायटी के पदाधिकारियों का बिधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आम सभा का आयोजन किसी समय नही किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह सोसायटी के आम सभा का आयोजन

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

मनोज

किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

ब. प्रबंधकारिणी सभा – प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह में होगी तथा बैठक का ऐजेंडा तथा सूचना बैठक 7 दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नही होता है तो बैठक 1 घंटे के लिये स्थगित की जाकर उसी दिन पुनः की जा सकेगी। जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न होगी।

स. विशेष – यदि कम से कम कुल सदस्य संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करें तो उनके दर्शाये विषय विचार करने के लिये साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 45 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा सोसायटी को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(11) **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य** –

क. सोसायटी के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।

ख. सोसायटी की स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना।

ग. आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षणों की नियुक्ति करना।

घ. अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।

ड. सोसायटी द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना पत्रकों को अस्वीकृत करना।

छ. बजट का अनुमोदन करना।

(12) **प्रबंधकारिणी का गठन** – ट्रस्टीय यदि कोई हो सोसायटी के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हों बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नलिखित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी सोसायटी के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव
4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं 3 सदस्य

(13) **प्रबंधक समिति का कार्यकाल** – प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। प्रबंध समिति यथेष्ट कारण होने पर उस समय तक जब तक नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार व अन्य कारणों से नही हो जाता कार्य करती रहेगी। किन्तु उक्त अवधि 6 महीने से अधिक नही होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा।

(14) **प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य** –

अ. जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है, उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

ब. पिछले वर्ष आय–व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

स. सोसायटी उवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। समिति की चल – अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

द. कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

इ. अन्य आवश्यक कार्य करना जो कि साधारण सभा द्वारा समय–समय पर सौंपे जाये।

च. सोसायटी की समस्त चल–अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष

सचिव
मनोज

कोषाध्यक्ष

छ. सोसायटी द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरिक नही की जायेगी।

ज. विशेष बैठक आमंत्रित कर समिति के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदस्यों के 2/3 मत से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीय को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।

झ. संस्था द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु शासकीय एवं अशासकीय वित्तीय संस्थाओं स चल अचल (भवन एवं वाहन) सम्पत्ति के क्रय एवं भवन निर्माण हेतु ऋण प्राप्त कर सकेगी।

(15) **अध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा सचिव द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठक का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत समान मत होने पर विचारार्थ विषयों में निर्णायात्मक होगा।

(16) **उपाध्यक्ष के अधिकार–** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करेगा।

सचिव के अधिकार–

क. साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय–समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों, प्रस्तुत करना।

ख. सोसायटी का आय–व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।

ग. सोसायटी के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।

घ. सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रूपये 5000/–खर्च करने का अधिकार होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार–** सचिव की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकारों का उपयोग करना।

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार–** सोसायटी की धनराशि का पूणर्प हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता–** सोसायटी की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 5000/ रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी–**

(1) अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सोसायटी की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ सोसायटी के अध्यक्ष या सचिव द्वारा कार्यकारिणी समिति की सूची फाइल की जावेगी।

(2) अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत माह 30 तारीख से 90 दिन के भीतर सोसायटी एवं संचालित संस्थाओं को संरक्षित आय–व्यय पत्रक आडिट रिपोर्ट तथा बेलेन्स शीट सहित निर्धारित फीस के साथ भेजे जावेंगे।

22. **संसोधन–** सोसायटी के विधान में संशोधन साधारण सभी की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा यदि आवश्यक हुआ तो सोसायटी के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाओं का होगा। जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संशोधन प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निर्धारित फीस के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

श्री देवी परिहार
अध्यक्ष

मनोज
सचिव

कोषाध्यक्ष

23. **विघटन**– सोसायटी का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/5 मत से पारित किया जावेगा विघटन के पश्चात सोसायटी की चल तथा अचल सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित होगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।

24. **सम्पत्ति**– सोसायटी की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति सोसायटी के नाम से रहेगी। सोसायटी की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फार्म्स एण्ड सोसायटी की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान या अन्यक्षा प्रकार से अर्जित या आंतरिक नहीं की जा सकेगी। अनुज्ञा हेतु आवेदन निर्धारित प्रारूप में निर्धारित फीस के साथ किया जावेगा।

25. **पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना**– सोसायटी की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार के आवश्यक होने पर पंजीयक फार्म्स एण्ड सोसायटी की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही वह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

26. **विवाद**– सोसायटी में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चय या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद बड़े निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

27. समिति के उद्देश्यों का क्रियान्वयन शासन के संबंधित विभाग से पूर्व अनुमति व मान्यता प्राप्त कर ही किया जावेगा, व इसके पश्चात ही समिति में सदस्य बनने हेतु/विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु समिति के नाम एवं पंजीकृत उद्देश्यों आदि का प्रचार किया जावेगा।

सत्यापित प्रति

(मंगला पुरुषोत्तम)
अति. रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थायें
सागर संभाग सागर

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

प्रारूप–7

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र.44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के प्रपत्र

1. सोसाइटी का नाम और पूरा पता– **ए. पी. एस. शिक्षा प्रसार समिति**

हायर सेकण्डरी स्कूल नं. 1 के पीछे आदर्श नगर जिला–छतरपुर (म0प्र0)

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख – 06/12/01/09400/12 दिनांक 06–12–2012
3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख – 25/ 12 /2021
4. वि|मान पदाधिकारियों की सूची कार्यकाल तारीख 25/12/2021 से तारीख 24/12/2024 तक

अनु क्रमांक	नाम, पिता/पति का नाम	पता	धारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ताक्षर
1	डॉ0 बृजेन्द्र सिंह गौतम तनय स्व0 श्री बलवीर सिंह गौतम	वार्ड 33 ग्रीन एवेन्यू कालौनी सटई रोड, छतरपुर (म0प्र0)	अध्यक्ष	समाज सेवा	
2	श्री ब्रजेश पाटीदार तनय श्री मोहन लाल पाटीदार	206 बस स्टेण्ड झारखेड़ा जिला– सिहोर (म0प्र0)	उपाध्यक्ष	समाज सेवा	
3	श्री मनोज प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द्रभान सिंह	सगर रोड छतरपुर जिला– छतरपुर (म0प्र0)	सचिव	कृषक	मनोज
4	श्री चंदन सिंह परिहार तनय श्री नन्हे सिंह परिहार	ग्राम/पोस्ट गढ़ी गहरवार जिला– छतरपुर (म0प्र0)	कोषाध्यक्ष	शिक्षक	
5	श्रीमती अल्का सिंह गौतम पत्नि श्री मानसिंह गौतम	हायर सेकण्डरी स्कूल नं. 1 के पीछे आदर्श नगर जिला–छतरपुर	सं. सचिव	गृहणी	Alka
6	श्री शुभम दुबे पुत्र स्व. श्री डी. एस. दुबे	शुभम सदन पुराना आई. टी. आई. के पीछे मिश्रा जी की बगिया के पास, छतरपुर	सदस्य	शिक्षक	Shubham
7	श्रीमती रीतू पाटीदार पत्नि जगदीश पाटीदार	जी–2 सर्वोदय कालोनी सी.टी.ओ. बैरागढ़ हुजूर भोपाल (म0प्र0)	सदस्य	गृहणी	Rity
8	कु. आयुषी विजेता सिंह पुत्री डॉ. विजय सिंह	मकान नं. 14 अभिनव रीगल होम भोपाल (म0प्र0)	सदस्य	ऐडवोकेट	

5. मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र.44 सन 1973) की धारा 27 के अधीन .... रुपये की वार्षिक फीस, चालान क्रमांक.................................. दिनांक.......................... के द्वारा जमा कर दी गई है उसकी मूल प्रति संलग्न है।

घोषणा

मैं डॉ0 बृजेन्द्र सिंह गौतम पुत्र/पुत्री/पत्नि स्व0 श्री बलवीर सिंह गौतम आयु लगभग 40 वर्ष एक प्राधिकृत अधिका[री] के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसायटी के अभिलेख पर आधरित होने से त[था] हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसायटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी [के] आधिपत्य में हैं। मैं यह जानता हूँ कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है, तो मैं उक्त अधिनिय[म] की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का उत्तरदायी रहूंगा।

मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के तहत प्रस्तुत की गई शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबंध में प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। इस कार्यालय द्वारा जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबंध मे प्रमाणपत्र/आदेश नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम.................. अध्यक्ष

(अध्यक्ष/सचिव) (म0प्र0)